

आदेश की
तिथि

हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय
अभ्युक्ति


वाद सं०-०४ / २०२४

11.03.2024


अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्ता श्रीमती सरीता देवी, ग्राम+पो०+पं०-चपरी, प्रखण्ड-ठाकुरगंगटी, जिला-गोड्डा अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा आयोग कार्यालय में अनुपस्थित।

शिकायतकर्ता को आयोग ने 28.02.2024 के सुनवाई में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था लेकिन आयोग के अभिलेख में शिकायतकर्ता का पक्ष मौजूद नहीं है। न्याय के हित में आयोग शिकायतकर्ता को अंतिम अवसर दे रहा है। आज के आदेश कि प्रति शिकायतकर्ता को भेज दी जाय।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक-28.03.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक-28.03.2024 को रखें।


(शबनम परवीन)

सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।


(हिमांशु शेखर चौधरी)

अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।